सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 10- जल उपभोक्ता समिति द्वारा जल अपराधों पर नियंत्रण

विषय -10.4 जल अपराध कम करने के सामाजिक उपाय एवं विवाद समाधान

विषय -10.4

जल अपराध कम करने के सामाजिक उपाय एवं विवाद समाधान

मॉड्यूल 10 के विषय :

10.1 जल अपराध एवं उनकी परिभाषा

10.2 जल अपराध की विवेचना तथा दंड निर्धारण

10.3 नहर अपराध का प्रशमन, अपील एवं अनधिकृत उपयोग पर रोकथाम

10.4 जल अपराध कम करने के सामाजिक उपाय एवं विवाद समाधान

जल उपभोक्ता समितियों की परिकल्पना करते समय इनको दिए जाने वाले दायित्वों का क्रियान्वयन भाईचारे की भावना से किया जाना अंतर्निहित था तथा दंडात्मक उपायों का उपयोग अपरिहार्य परिस्थितियों मे ही करने की परिकल्पना की गई थी. इस परिपेक्ष्य मे जल अपराध कम करने अथवा रोकने के लिए समितियों से सामाजिक उपायों को ही प्राथमिकता दिए जाने की अपेक्षा की गई है जिनकी संक्षिप्त चर्चा नीचे की गई है।

1. जल अपराध कम करने के सामाजिक उपाय

i. सर्व प्रथम कृषकों मे प्रचार प्रसार के माध्यम से स्वामित्व की भावना जगानी आवश्यक है कि नहरें किसानों की हैं तथा इन्हें नुकसान पहुँचाने में उनका ही अहित है.

ii. प्रत्येक कार्य पारदर्शिता से किये जाने पर किसानों में सरकार तथा कार्य समिति के प्रति विश्वास पैदा होगा.

iii. पारदर्शिता के लिए सामान्य बैठकों का समय समय पर आयोजन तथा उसमें सभी के सुझावों का आदर. कोई सुझाव यदि मानने योग्य नहीं है तो कारण सहित विनम्रता से असहमति जताई जाए.

चित्र - 1 : किसानो को समझाते हुए विभागीय कर्मी

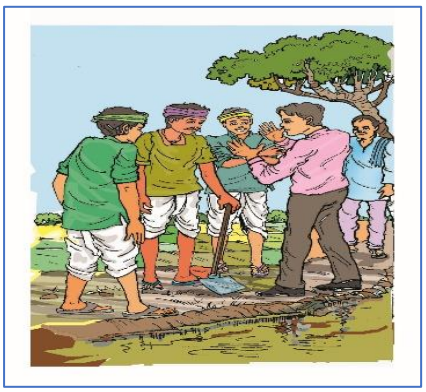

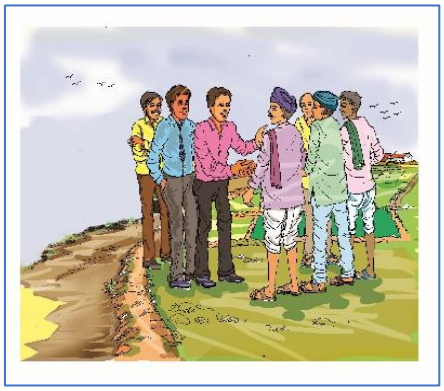

iv. उन कारणों का पता लगाना जिनसे किसान अपराध की स्थिति तक पहुंचा तथा उसे दूर करने के उपाय तलाशना.

v. उसी व्यक्ति से उस समस्या के निराकरण को जानने का प्रयास करना. इससे सम्बंधित व्यक्ति को आत्म संतोष होगा। हो सकता है , वह भविष्य में अपराध या अनधिकृत सिंचाई करने से पहले समिति से मिले और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो.

vi. जल वितरण तथा नहर चलने की पूर्व जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करें.

vii. नहरों की संचालन व्यवस्था कृषकों / उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनाया जाना एक कारगर कदम होगा.

viii. समितियां अपनी कार्यकारिणी / प्रबंधन समिति की बैठकें पाक्षिक अथवा मासिक करें तथा उसमें लिए गए निर्णयों की जानकारी अधिक से अधिक किसानों को दें.

ix. पदाधिकारी विभागीय अधिकारियों से समस्याओं की चर्चा कर समाधान निकलवाये तथा लिए गए निर्णयों से सभी किसानों को जानकारी कराये.

अपनी जानकारी की जांच करें:
जल अपराध कम करने के कोई चार सामाजिक उपाय बताएं?

उपरोक्त आलेख से अपने उत्तर का मिलान करें ।

2. विवाद एवं विवाद सुलझाने की प्रक्रिया

सामान्यता: विवाद निम्न कारणों से हो सकते हैं:

i. सिंचाई के दौरान जल वितरण संबंधी विवाद हो सकते हैं अगर वितरण व्यवस्था सबकी सलाह से नही बनाई गई हो या पक्षपात पूर्ण ढंग से बनाई गई हो या किसी ने उसका उल्लंघन किया हो।

ii. चालू सिंचाई की नियमित अंतराल पर जैसे कि साप्ताहिक समीक्षा नही की जाती हो । और यह पता नहीं चल पाये कि पानी से कौन वंचित रह गया है और उसे पानी पहुचाने की रणनिति ना बनाई गई हो ।

iii. वाराबंदी की जानकारी सभी किसानो तक नहीं पहुंची हो और जल वितरण के नीति नियमो को साधारण सभा मे स्वीकृत न करवाया गया हो ।

3. विवादों को कम करने के लिये क्या करना चाहिये?

विवाद उत्पन्न ही न हो, या संख्या मे कमी लाने के लिये समिति को निम्न लिखित पहल करनी चाहिये -

1) विवादों को कम करने के लिए वितरण व्यवस्था पक्षपात रहित सबकी सलाह से बनाई जानी चाहिए तथा पदाधिकारियों को उसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
2) नहरों की आवश्यक मरम्मत करना तथा प्रवाह में होने वाले अवरोधो को तत्काल हटाना।
3) छोटे छोटे विवादों को तुरंत सुलझाना जिससे वे बडा स्वरूप न ले सकें।
4) नहर प्रणाली की खामियों के बारे में किसानों को अवगत कराना तथा आपसी सहयोग का वातावरण पैदा करना।
5) नीति नियम पालन करने वाले तथा जल के सदुपयोग और समिति के कार्यों में सहयोग करने वाले किसानों का सम्मान करना।
6) विवाद सामान्यतया कुलाबा, अल्पिका, रजबाहा नहर समितियों जैसी समकक्ष स्तर की दो समितियों के मध्य समिति के गठन, प्रबन्धन तथा अधिकार एवं कर्तव्य से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने पर किसी मतभेद अथवा विवाद का समाधान ठीक उनके ऊपर की समिति द्वारा विवाद का हल किया जाना उचित होगा ।

4. सदस्यों के मध्य मतभेदों की समाधान प्रक्रिया

(1) जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों (सामान्य सभा के) के मध्य मतभेद समाधान प्रक्रिया

जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों (सामान्य सभा के) के मध्य गठन, प्रबन्धन तथा अधिकार एवं कर्तव्य से सम्बन्धित उत्पन्न किसी मतभेद अथवा विवाद का समाधान उस जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा विवाद को सन्दर्भित किए जाने की तिथि से निश्चित समयावधि के अन्दर किया जा सकता है। समाधान पर निर्णय/आदेश उस जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जाय। जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के निर्णय/आदेश से व्यथित कोई पक्ष उससे सम्बन्धित उच्चतर समिति की प्रबन्धन समिति को आदेश/निर्णय की तिथि से निश्चित समयावधि के अन्दर अपील कर सकता है।

यदि उच्चतर समिति न हो तो अपील सक्षम नहर अधिकारी को की जा सकती है। अपील का निस्तारण अपील दायर करने के दिनांक से निश्चित समयावधि के अन्दर किया जा सकता है । उच्चतर समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(2) सदस्यों व प्रबंधन समिति अथवा दो प्रबंधन समितियों के मध्य मतभेद समाधान प्रक्रियाः-

किसी जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य तथा जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा के किसी सदस्य अथवा समान स्तर की दो जल उपभोक्ता समितियों के मध्य गठन, प्रबन्धन तथा अधिकार एवं कर्तव्य से सम्बन्धित उत्पन्न किसी मतभेद अथवा विवाद का समाधान उच्चतर जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा प्रकरण सन्दर्भित किए जाने की तिथि से निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए। समाधान पर निर्णय/आदेश उच्चतर जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जाएगा। उच्चतर समिति न होने की दशा मे सक्षम नहर अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायगा। इस समिति / सक्षम नहर अधिकारी के निर्णय/आदेश से व्यथित कोई पक्ष इससे उच्चतर सम्बन्धित समिति को निर्णय/आदेश की तिथि से निश्चित समयावधि के अन्दर अपील कर सकता है। उससे उच्चतर समिति के न होने पर उच्चतर समिति के सक्षम नहर अधिकारी को अपील की जाएगी। अपील का निस्तारण अपील दायर करने के दिनांक से निश्चित समयावधि के अन्दर किया जा सकता है। उच्चतर समिति/सक्षम नहर अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

अपनी जानकारी की जांच करें:

कुलाबा समिति व अल्पिका समिति के बीच विवाद को कौन सुलझाएगा? यदि विवाद के निर्णय से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी ?

उपरोक्त प्रस्तर 4.2 से अपने उत्तर का मिलान करें ।